

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-स .3-3 (2) स्था/मंत्रा./अभि./2016/ 9866-82

दिनांक:- 15-6-17

आदेश:-

अभियोजन विभाग में काफी संख्या में लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद रिक्त होने के कारण सेवानिवृत्त मंत्रालयिक सेवा के कार्मिको को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.11/94 दिनांक 26.05.2014 एवं 10.02.2016 में वर्णित शर्तो के अनुसार निम्नतम पद के लिए निर्धारित ग्रेड-पे से ए.सी.पी. नियमों के तहत देय अधिकतम तीन उच्चतर ग्रेड पे या सेवानिवृत्ति के समय की ग्रेड पे की राशि के दोनो में से जो कम हो, जो कि इस शर्त के अध्यधीन होगी कि अन्तिम मूल वेतन मे से पेंशन की राशि को कम किये जाने पर शेष रही राशि से अधिक नही हो, के समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर तुरन्त प्रभाव से अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	सेवानिवृत्ति से पूर्व का पद एवं विभाग	जन्म तिथि	कार्यालय जहाँ नियुक्ति की जानी है।	वि.विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री कैलाश चन्द शर्मा	सहायक कार्या. अधी. अभियोजन विभाग	11.03.55	एडीपी जयपुर शहर प्रथम	तृतीय बार
2.	श्री शोभाराम	लिपिक ग्रेड-द्वितीय, अभियोजन विभाग	11.12.54	एडीपी जयपुर शहर प्रथम	तृतीय बार
3.	श्री ओम प्रकाश सिंह	लिपिक ग्रेड-प्रथम, अभियोजन विभाग	02.10.55	एडीपी जयपुर शहर द्वितीय	तृतीय बार
4.	श्री कैलाश चन्द सैनी	कार्यालय अधीक्षक, अभियोजन विभाग	13.10.55	एडीपी जयपुर शहर द्वितीय	तृतीय बार
5.	श्री बुद्धाराम प्रजापत	लिपिक ग्रेड-प्रथम, अभियोजन विभाग	11.03.55	एडीपी पाली	तृतीय बार
6.	श्री अरुण कुमार व्यास	लिपिक ग्रेड-प्रथम, अभियोजन विभाग	30.07.55	एडीपी पाली	तृतीय बार
7.	श्री ताराचन्द टांक	लिपिक ग्रेड-प्रथम, अभियोजन विभाग	10.07.54	एडीपी अजमेर	तृतीय बार
8.	श्री राजेन्द्र प्रसाद सैनी	लिपिक ग्रेड-प्रथम, अभियोजन विभाग	02.08.55	एडीपी झुन्झुनू	तृतीय बार
9.	श्री नवल सिंह जाटव	लिपिक ग्रेड-प्रथम, अभियोजन विभाग	19.03.55	एडीपी चित्तौडगढ	तृतीय बार
10.	श्री भागीरथ मल	लिपिक ग्रेड-प्रथम, अभियोजन विभाग	13.03.54	एडीपी सीकर	तृतीय बार
11.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	लिपिक ग्रेड-प्रथम, अभियोजन विभाग	01.07.53	एडीपी बून्दी	तृतीय बार
12.	श्री बद्री लाल नायक,	लिपिक ग्रेड-प्रथम, अभियोजन विभाग	15.01.54	एडीपी भीलवाडा	तृतीय बार

- 1 कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.ग/94 दिनांक 10.02.2016 के क्रम में नियुक्ति आदेश संबन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगा।
- 2 पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
- 3 चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
- 4 सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिए निर्देशित कर सकता है।
- 5 पुनः नियुक्ति सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवा **उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक** अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
- 6 इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01-(01) संवेतन व्यय (आयोजना भिन्न) से प्रभार्य होगा।

यह आदेश गृह (ग्रुप-10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. 99929 दिनांक 13.06.2017 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें, तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(देवेन्द्र दीक्षित)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अनुभागाधिकारी गृह(ग्रुप-10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजि सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
3. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन,
4. संबन्धित कर्मचारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन,
5. लेखा शाखा /रक्षित पत्रावली।

716/1516/17
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर